

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0



पेंहका साकेत पिता श्री छनू साकेत उम्र 65 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम ककरा तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.....आवेदक/पति/पत्नी

क्रमांक-6526/2018/सतना/श.र.

बनाम

1. दलुआ साकेत पिता मथुरा साकेत उम्र 70 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम ककरा तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0
2. रामकुशल साकेत पिता श्री सन्ना साकेत उम्र 40 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम ककरा तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.....उत्तरवादीगण / गैरअपीलार्थीगण

अपील विरुद्ध प्र0क्र0 2/अपील/2018-19
आदेश दिनांक-15.11.2016 न्यायालय श्रीमान्
अपर कमिश्नर रीवा सम्भाग रीवा लिंक कोर्ट
सतना/सीधी म0प्र0

अन्तर्गत धारा 50, म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

प्रस्तुतनिगम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं

1. यह कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2015 में सीमांकन हेतु आवेदन रा0नि0 अमरपाटन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे रा0नि0 अमरपाटन द्वारा पंजीयन जरिये प्र0क्र0 2अ12/2015-16 दर्ज कर सरहददी काश्तकारों को उपस्थिति में सीमांकन कर स्थल पंचनामा तथा नजरी नक्शा सहफील्ड बुक तैयार किया जिसकी पुष्टि दिनांक-21.12.2015 को रा0नि0 अमरपाटन द्वारा कर दी गई। पुष्टि दौरान सीमांकन पश्चात् किसी ने कोई अपत्ति नहीं की जिस कारण प्रस्तुत सीमांकन 2अ12/2015-16 अन्तिम हो गया। सीमांकन दौरान उत्तरवादीगणों का दबता रकवा अपीलार्थी के कब्जे में पाया गस जिसकी बेदखली का आवेदन अपीलार्थीगणों ने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तह0 अमरपाटन के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें तह0 महोदय अमरपाटन ने उत्तरवादीगणों को तलब कर सुनवाई पश्चात् विधिवत बेदखली का आदेश


क्रमशः.....2.....



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6526/2018/सतना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/05/2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम. शर्मा) सदस्य </p>	